

# जयपुर में हिमालयन काले भालुओं की नई जोड़ी आकर्षण का केंद्र

## जम्मू-कश्मीर से लाए गए इन भालुओं की जोड़ी को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रखा गया है

—कार्यालय संवाददाता—  
जयपुर। नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर में पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) से लाए गए एक नर एवं एक मादा हिमालयन काले भालु को

वन मंत्री ने नर भालु का नाम हरि और मादा भालु का नाम कमला रखा। साथ ही बाघ शिवाजी एवं बाघिन रानी के पांच शावकों का नामकरण भी किया गया।

गुरुवार से आमजन के अवलोकन के लिए प्रदर्शित किया गया।  
वन, पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को एकक्लोजर के डिप्ले एरिया का फीता काटकर औपचारिक उद्घाटन किया। इसके साथ ही दोनों भालुओं को पर्यटकों के लिए खोला गया।  
उद्यान प्रशासन के अनुसार नर भालु की आयु लगभग 3.0 माह तथा



वन मंत्री संजय शर्मा ने गुरुवार को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में बाघ और उनके शावकों की अठखेलियों को निहारना।

मादा भालु की आयु लगभग 2.1 माह है। मंत्री ने नर भालु का नाम हरि और मादा भालु का नाम कमला रखा। इस अवसर पर बाघ शिवाजी एवं बाघिन रानी के पांच शावकों का नामकरण भी किया गया। नर शावकों

के नाम सूर्या, शौर्य और विजय जबकि मादा शावकों के नाम अम्बे और वृंदा रखे गए। वन मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने जैविक उद्यान परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस मौके पर

अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) पवन कुमार उपाध्याय तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के.सी.ए. अरुण प्रसाद सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

# सामुदायिक केन्द्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग एक धर्म के लिए नहीं : कोर्ट

जयपुर। जयपुर मेट्रो-प्रथम को अपर सिविल न्यायाधीश अदालत ने एक फैसले में कहा है कि सामुदायिक केन्द्र के लिए आवंटित जमीन का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं हो सकता और न ही वहाँ पर उस धर्म विशेष की मूर्तियाँ ही स्थापित हो सकती हैं।

अदालत ने टोंक रोड के महावीर नगर स्थित श्री महावीर साधना संस्थान के सचिव को पाबंद किया है कि वह उसे आवंटित जमीन का उपयोग करने और उसकी सुविधाओं के उपयोग करने के लिए आमजन को वंचित नहीं करे। इस जमीन पर एक धर्म विशेष

की मूर्तियाँ स्थापित नहीं करे और न ही इसका उपयोग किसी धर्म या समुदाय विशेष के लिए करे। कोर्ट ने यह आदेश शशि माथुर के अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर दिया।

अदालत ने कहा कि जेडीए के 12 फरवरी 2016 के संशोधित साइट प्लान व लीज डीड और हाईकोर्ट के 22 मई 2015 के आदेश के अनुसार यह जमीन किसी अन्य उपयोग के लिए नहीं ली जा सकती।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि महावीर साधना संस्थान को आवंटित जमीन सामुदायिक केन्द्र के लिए

दी थी, लेकिन इस जमीन का उपयोग केवल एक धर्म विशेष के कार्य के लिए ही हो रहा है। संस्थान ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य कर वहाँ मूर्तियाँ भी स्थापित कर दी हैं और इससे अन्य समुदायों के लोगों को परिसर के उपयोग से वंचित किया जा रहा है। जबकि संस्थान का कहना था कि भूमि का उपयोग संस्थान के उद्देश्यों के अनुसार कर रहे हैं और यहाँ योग जैसी गतिविधियाँ भी संचालित हो रही हैं। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संस्थान को जमीन का उपयोग किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं करने के लिए पाबंद किया है।

# 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते कांस्टेबल व रिश्तेदार गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने अलवर जिले के कटुमर थाने के कांस्टेबल और एक निजी व्यक्ति को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

एसीबी पुलिस महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि हैल्पलाइन 1064 पर मिली शिकायत के अनुसार परिवारी के रिश्तेदार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में मदद करने के नाम पर एएसआई नरेंद्र सिंह, कांस्टेबल रामेश्वर सिंह और निजी व्यक्ति निरंजन सिंह द्वारा 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। इस शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी जयपुर रेंज के उपमहानिरीक्षक अनिल कयाल के निर्देशन में भरतपुर इकाई ने जांच की।

इसके बाद दोसा एसीबी के उप अधीक्षक पुलिस रविन्द्र सिंह के नेतृत्व में ट्रेप कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान



एसीबी ने अलवर के कटुमर थाने के कांस्टेबल और एक निजी व्यक्ति को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

कांस्टेबल रामेश्वर सिंह और निरंजन सिंह को परिवारी से 20 हजार रुपए लेते पकड़ा गया। बरामद राशि निजी

# संकट की घड़ी में विपक्ष, सरकार के साथ : टीकाराम जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गुरुवार को मुख्यमंत्री द्वारा पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के मद्देनजर एलपीजी और पेट्रोल संकट के विषय पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होकर वर्तमान परिस्थितियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को लेकर सकारात्मक सुझाव साझा किए। जूली ने स्पष्ट किया कि किसी भी आपदा या संकट के समय विपक्ष पूरी तरह से जनता और सरकार के सहयोग के लिए तत्पर है, क्योंकि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं की जाती। जूली ने कहा कि सरकार को किसी भी सूरत में पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए। पूर्व में कच्चा तेल सस्ता होने पर तेल कंपनियों और सरकारों ने भारी मुनाफा कमाया है, अतः अब यदि अंतरराष्ट्रीय कर्मों बढ़ती भी हैं, तो सरकार अपने टैक्स और स्पेशल सेस में कटौती करें।

# गौवंश का कटा सिर मिलने से फैली सनसनी बजरंग दल ने किया विरोध प्रदर्शन, मौके पर पहुंचा पुलिस जाब्ता

जयपुर। टांसपोर्ट नगर इलाके में बुधवार देर रात गौवंश का कटा सिर मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और घटना स्थल पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और विरोध-प्रदर्शन करने लग गए। विरोध प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ता से समझाईश करने का प्रयास किया। जिसके बाद प्रदर्शनकारी थाने के सामने जा पहुंचे और घेरवाव कर दिया। पुलिस ने मामले को शांत करवाने के लिए तुरंत

दोषियों पर जल्द कार्रवाई करने की समझाईश पर हुआ मामला शांत

विकास के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि थाना इलाके में स्थित वैद्यपुरी इलाके में रहने वाले विकास हरिजन की गाय के बछड़े को चार दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था। जिससे बछड़े की मौत हो गई। जिसके

बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया। दुध के लालच में विकास ने बछड़े का सिर गाय के सामने लाकर रख दिया। बछड़े का सिर खा देकर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। गौवंश का सिर पड़ा होने का वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल के जिला सचिव और अपने समर्थकों के साथ थाने पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए विकास हरिजन (30) वैद्यपुरी निवासी को गिरफ्तार कर लिया।



रामनवमी पर जयपुर के चांदपोल बाजार स्थित श्रीरामचंद्रजी मंदिर में भगवान का अभिषेक और विशेष पूजा अर्चना की गई।

# मुरलीपुरा में श्रीमद् भागवत कथा 29 से

जयपुर। मुरलीपुरा स्थित अर्चना नगर में आगामी 29 मार्च से 5 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह धार्मिक आयोजन स्थानीय लोगों सहयोग से किया जा रहा है। संगीतमय भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें श्रद्धालु धर्म, भक्ति और ज्ञान का लाभ प्राप्त करेंगे। कथा का वाचन आचार्य प्रेमनाथरायण भारद्वाज की ओर से किया जाएगा। वह अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 29 मार्च को प्रातः 9:15 बजे भव्य कलश यात्रा के साथ होगा।

# शारीरिक दक्षता परीक्षा 9 अप्रैल से

जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित उप निरीक्षक (दूरसंचार) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है।

लिखित परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन आगामी 9 अप्रैल से 11 अप्रैल 2026 तक राजस्थान पुलिस अकादमी पानीपेच, जयपुर में किया जाना प्रस्तावित है। भर्ती एवं प्रवेशित बोर्ड के उप महानिरीक्षक पुलिस मनोज कुमार ने बताया कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र शीघ्र ही जारी कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से इन ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को अपना एक फोटोयुक्त मूल पहचान दस्तावेज लेकर नियत तिथि और समय पर बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

# ‘भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, हर एक की बारी आएगी’

## मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विपक्ष पर करारा प्रहार

जयपुर (कांस)। प्रदेश की राजनीति में तीखे बयानबाजी के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि खोखली जादूगरी और झूठ का सहारा लेकर केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, लेकिन यह याद रखा जाए कि भ्रष्टाचार में लिप्त हर व्यक्ति की बारी आएगी।

मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ लोग इंतजार शास्त्र की बात करते हैं और सोशल मीडिया पर बयानबाजी करते रहते हैं, लेकिन असल में यह झूठ का शास्त्र है, जो लगातार फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में युवाओं के पेपर लीक



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

जैसी गंभीर घटनाएं होती थीं, लेकिन अब उन पर सख्ती से रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि कितनों को जेल भेजा गया है, कितने अभी भी

सलाखों के पीछे हैं—यह भी जनता देख रही है।

मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन में हुए कथित भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई लोग जांच के दायरे में हैं। आपके मंत्री जेल में हैं, अधिकारी जेल में जा रहे हैं और अभी सूची लंबी है, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने दो टुक कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़ोरों डालेंस की नीति पर काम कर रही है। जिसने भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा।

# 80 लाख रु. के डिजिटल अरेस्ट को लेकर डीजीपी और एसपी तलब

## पीड़ित वृद्धा को शहर में आवास उपलब्ध कराने के आदेश

जयपुर (कांस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने 80 लाख रुपए के डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामले में डीजीपी और साइबर ब्राह्मण एसपी को 27 मार्च को तलब किया है। अदालत ने दोनों अफसरों को वीसी से जुड़ने के आदेश देते हुए मामले के जांच अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने को कहा है।

अदालत ने कहा कि 83 वर्षीय पीड़िता व्हीलचेयर पर अपने दिव्यांग भतीजे के साथ पेश हुई है। यह मामला अदालत की अंतरात्मा को गहरी चोट पहुंचाने वाला है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि अजमेर निवासी पीड़िता मुकदमे से जुड़ी कार्रवाई

को लेकर शहर में रुकना चाहे तो राज्य सरकार उसे उच्चतम गुणवत्ता वाले आवास और भोजन की व्यवस्था करे। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसके लिए होने वाला खर्च राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि आदेश की पालना नहीं हुई तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नवीन तैमानी की ओर से दायर द्वितीय जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि मामले में दस लाख रुपए में पीड़ित पक्ष से समझौता हो गया है। ऐसे में उसे जमानत दी जाए। वहीं

अदालत में उपस्थित पीड़ित वृद्धा ने कहा कि मामले में चल रही कार्रवाई और जांच एजेंसी की ओर से न्याय नहीं मिलने की वजह से वह पूरी तरह निराश हैं और उसे अस्सी लाख के बजाए दस लाख रुपए में समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महिला ने अदालत को बताया कि वह जीवन के अंतिम चरण में हैं और पूरी तरह अकेली रहती हैं। उसकी देखभाल करने वाला भी कोई निकट संबंधी नहीं है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने डीजीपी और एसपी को तलब करते हुए वृद्धा को शहर में आवास और भोजन उपलब्ध कराने को कहा है।

# बिंदायका में प्रॉपर्टी कारोबारी पर फायरिंग करने वाले गिरफ्तार

जयपुर। बिंदायका क्षेत्र में प्रॉपर्टी व्यवसायी पर फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पहले से ही हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट और अपहरण जैसे गंभीर मामलों में कई प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम प्रशांत किरण ने बताया कि 14 मार्च

2026 को परिवारी कमलदीप मीनापुर उर्फ कमल मीणा (45) निवासी सिरसी रोड ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने साथी जितेंद्र मीणा और ड्राइवर अनिल सिंह के साथ बालाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान हाथों फाटक के पास एक थार गाड़ी ने उनकी कार को टक्कर मारी। इसके बाद अन्य वाहनों ने भी धेरकर टक्कर मारी और जान से मारने

की नीयत से फायरिंग की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्तालय के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की और कार्रवाई करते हुए आसीन उर्फ यासीन खान, विष्णु सिंह उर्फ लोकेन्द्र, गजेन्द्र सिंह उर्फ गजबुवा और इरशाद अली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों को

न्यायालय में पेश कर तीन दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। उनसे घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी और अन्य साक्ष्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिससे उनके आपराधिक इतिहास का भी खुलासा हुआ है। मामले की जांच जारी है।

## सुनिश्चित कीजिए उनकी मुस्कुराहट प्लस सुरक्षा

एलआईसी का प्रोटेक्शन प्लस

प्लान सं.: 886 यूआईएन: 5121361101

एलआईसी का पेश है

विशेषताएँ:

- आपकी आवश्यकताओं के अनुसार अनेक निवेश फंड विकल्प उपलब्ध
- अपनी जोखिम बीमा-सुरक्षा बढ़ाएँ, टॉप अप प्रीमियम भुगतानों के साथ
- आयु एवं अवधि के अनुसार उच्च बीमा राशि चुनने का विकल्प
- 5 वर्ष बाद आंशिक निकासी की अनुमति

एक नॉन-पार, लिक्विड, जीवन, व्यक्तिगत, बचत प्लान

ऑनलाइन भी उपलब्ध

हमारा कॉल सेंटर संपर्क करें 8976862090

अधिक जानकारी के लिए आप अपने बीमा एजेंट/नजदीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें

विजिट करें: www.liaindia.in

आयोजन करें एलआईसी मोबाइल ऐप

विजिट करें: licindia.in

कॉल सेंटर सर्विस (022) 6827 6827

LIC India Forever | IRDAI Regn No.: 512

हर पल आपके साथ

छोटेछोटे घाले फोन कॉलस तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें। आईआरडीआईआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की विक्री, बीनस की घोषणा या प्रीमियमस के निवेश, राशियां लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं। जिन पॉलिसीधारकों या संगठित प्राहकों को ऐसे फोन कॉलस मिलें, वे कृपया पुलिस से इसकी शिकायत दर्ज करें, कृपया विक्री के समापन से पहले विक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें।

लिक्विड इश्योरेन्स प्रोटेक्टसमिन् होते हैं पारंपरिक इश्योरेन्स प्रोटेक्टस से तथा उनके साथ जोखिम घटक होते हैं। लिक्विड इश्योरेन्स पॉलिसियों में अदा किए गए प्रीमियम पूर्ण बाजार तथा सांख्यिक रूप से उपलब्ध इंडेक्स से जुड़े निवेश जोखिम होते हैं। फंड की कार्यकुशलता तथा पूर्ण बाजार/सांख्यिक रूप से उपलब्ध इंडेक्स को प्रभावित करने वाले घटकों के आधार पर युनिट्स के एन्वैलप गट-बड सकार हैं तथा बीमित व्यक्ति अपने निधियों के लिए एलिमेंटर होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम/लाइफ इश्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केवल जीवन बीमा कंपनी का नाम है तथा प्रोटेक्शन प्लस केवल लिक्विड इश्योरेन्स संविदा का नाम है तथा किसी भी रूप में संविदा की गुणवत्ता, इसकी भावी संभावनाओं या अल्पदमियों की ओर संकेत नहीं करता है। कृपया अपने बीमा एजेंट या मध्यवर्ती या इश्योरेन्स कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दस्तावेज से संबंधित जोखिमों और लागू प्रसारों की जानकारी प्राप्त करें। इस संविदा के अंतर्गत पेश किए गए विभिन्न फंडस केवल फंडस के नाम हैं तथा वे किसी भी रूप में इन प्लान्स की गुणवत्ता, उनकी भावी संभावनाओं तथा अल्पदमियों की ओर संकेत नहीं करते हैं।